सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 23.09.2023

एम्बुलेंस मे छिपाकर तस्करी हेतु बिहार ले जायी जा रही 40 पेटी (350 लीटर) अवैध अग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत 3 लाख रुपये) सहित 01 अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण मे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद मे अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं अवैध शराब/ मादक पदार्थो की तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे आज दिनांक 23.09.2023 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि 01 ईको एंबुलेस कार अवैध शराब लेकर पाठक हाउस मैदान के पास खडी है सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली पुलिस टीम एवं आबकारी टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये 01 अभियुक्त **अभिषेक सिंह उर्फ बेटू पुत्र शिवपूजन सिंह को पाठक हाउस मैदान के पास से समय 07.50 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पकडे गये अभियुक्त तथा एंबुलेस की तलाशी ली गयी तो गाडी से 40 पेटी अग्रेजी शराब बरामद हुयी जिसके संबंध मे प्रपत्र मांगने पर वह दिखाने मे असमर्थ रहा तथा पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग राजस्थान से शराब लाकर बिहार राज्य में अधिक दामों पर बेचकर धन लाभ अर्जित करते है। एंबुलेंस का प्रयोग पुलिस से बचने के लिए करते है साथ ही बताया कि रास्ते मे पडने वाले राज्यों के हिसाब से एंबुलेंस की नंबर प्लेट बदल लेते है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 267/23 धारा 420/465/471 भादवि व धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है तथा ईको एम्बुलेंस कार को अन्तर्गत धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभिषेक सिंह उर्फ बेटू पुत्र शिवपूजन सिंह निवासी ग्राम विक्रमपुर राजा का बाग थाना सिविल लाइन जनपद इटावा उम्र 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 267/23 धारा 420/465/471 भादवि व धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. **40 पेटी अंग्रेजी शराब ब्राण्ड ROYAL CLASSIC WHISKY(अनुमानित कीमत 3 लाख रुपये)**
2. **01 ईको एम्बुलेंस कार (अन्तर्गत धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम सीज)**

पुलिस टीमः- प्रथम टीमः- निरीक्षक श्री विक्रम सिंह चौहान प्रभारी थाना कोतवाली, उ0नि0 नितिन कुमार, उ0नि0 तरूण प्रताप सिंह, का0 नीरज कुमार, का0 अमर प्रताप सिंह, का0 निवेश कुमार, का0 शेखर चौहान, चालक का0 धर्मेन्द्र सिंह

द्वितीय टीम (आबकारी विभाग)- निरीक्षक श्री जगदम्बिका प्रसाद आबकारी क्षेत्र-1 इटावा, का0 दिलीप कुमार, का0 मो0 सारिक सिद्दकी, का0 अतुल दीक्षित ।